न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3850–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–9–2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 22/अभ्यावेदन/2014–15.

रामकृष्ण मिश्रा आत्मज रामहरक मिश्रा
निवासी सदर बाजार, होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1– रविशंकर मिश्रा आत्मज रामहरक मिश्राक
निवासी व्ही–10 प्रियदर्शनी निलयम ई–10
एक्सटेंशन तिलक नगर रोड, भोपाल
तहसील व जिला भोपाल

2– म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर
होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अब्दुल कदीर, अनावेदक कमांक 1

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 8/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नगर होशंगाबाद स्थित नजूल भूमि सीट कमांक 47 प्लॉट नं. 56 रकबा 865 वर्गफुट एवं प्लाट नं. 74 रकबा 90 वर्गफुट कुल क्षेत्रफल 955 वर्गफुट राजस्व अभिलेखों में रामशंकर, रामकृष्ण एवं कृपाशंकर के नाम दर्ज थी । नजूल सीट नं. 47 प्लाट नं. 56 क्षेत्रफल 865 वर्गफुट में से 0.433 वर्गफुट भूमि रामशंकर के द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 27–6–1987 के माध्यम से अनावेदक कमांक 1 रविशंकर को विकय किया गया है । विकय उपरांत दोनों प्लॉट नम्बर का कुल क्षेत्रफल

582 वर्गफुट शेष था । इस प्रकार आवेदक रामकृष्ण एवं रामशंकर का बराबर हक 261–261 वर्गफुट हिस्सा होता है, परन्तु अनावेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर नजूल अधिकारी, होशंगाबाद से प्रकरण कमांक 31/अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 1–4–98 से 637 वर्गफुट दर्ज कराकर कलेक्टर, होशंगाबाद से प्रकरण कमांक 922/अ–20 (1)/94–95 में पारित आदेश दिनांक 14–9–2005 के अनुसार पट्टा प्राप्त कर लिया गया है, जिसकी जानकारी अनावेदक कमांक 1 को होने पर उसके द्वारा आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 22/अभ्यावेदन/2014–15 दर्ज किया जाकर दिनांक 10–9–2015 को आदेश पारित कर नजूल अधिकारी का आदेश दिनांक 1–4–98 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ नजूल अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया कि वे प्रकरण में विकय पत्र, दस्तावेजों एवं आदेश में की गई विवेचना के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित कर अभिलेख में एक माह के भीतर संशोधन की कार्यवाही करें । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन समय बाह्य प्रस्तुत किया गया था, परन्तु आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बिना आदेश पारित किये सीधे गुण–दोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, जबकि सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र का विनिश्चय किया जाना चाहिए था ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा नजूल पट्टे के नवीनीकरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, परन्तु आयुक्त द्वारा नजूल अधिकारी के नामांतरण आदेश दिनांक 1–4–98 को निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) यदि अनावेदक कमांक 1 नजूल अधिकारी के आदेश से व्यथित था, तब उसे संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करना चाहिए था, परन्तु नजूल अधिकारी का आदेश जो कि अंतिमता प्राप्त कर चुका था, उसे अभ्यावेदन के आधार पर निरस्त करने में आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है ।

(4) आयुक्त को यह देखना चाहिए था कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभ्यावेदन के माध्यम से बटवारा व नामांतरण चाहा गया है, जिसको प्रदान करने का अधिकार आयुक्त को नहीं था ।

(5) आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वत्व का प्रश्न उठाया गया है, जिसके निराकरण का अधिकार आयुक्त को नहीं था ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि प्लाट नम्बर 56 रकबा 865 वर्गफुट एवं प्लाट नं. 74 रकबा 90 वर्गफुट का मूल भूमिस्वामी मृतक लक्ष्मीनारायण था, और उससे प्रश्नाधीन भूमि रामशंकर एवं रामकृष्ण द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई थी, इसलिए अनावेदक कमांक 1 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था ।

(7) प्रश्नाधीन भूमि 637 वर्गफुट पर आवेदक का नाम दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी अनावेदक कमांक 1 को प्रारंभ से ही रही है ।

तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 140, 2002 आर.एन. 254 एवं 2014 आर.एन. 157 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) आयुक्त द्वारा अभ्यावेदन पर उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित किया गया है, जिसकी जानकारी आवेदक को प्रारंभ से ही रही है, परन्तु उसके द्वारा विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है, और दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, अतः निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(2) आवेदक द्वारा अनैतिक धोखाधड़ी एवं छल कटपटपूर्ण कृत्य कर आधारहीन तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है ।

(3) शेष बची भूमि में से 261 वर्गफुट पर आवेदक का नामांतरण होना था, परन्तु उसके द्वारा सांठ–गांठ करके अवैधानिक रूप से 637 वर्गफुट पर नामांतरण कराया गया है, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) आवेदक स्वत्व का विवाद उत्पन्न कर न्यायालय को गुमराह कर रहा है, जबकि आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उनके द्वारा आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत बने नामान्तरण नियमों के नियम 32 के अंतर्गत स्वत्व के आधार पर नामान्तरण किये जाने का प्रावधान है, कब्जे के आधार पर नामांतरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है । इसके अतिरिक्त नजूल अधिकारी द्वारा अभी पुनः जॉच कर आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे वहां अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर